

YOUNG INDIA

NBT

YOUNG PAPER



नवभारत टाइम्स

कदमों में जमाना

| नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | बुधवार 21 जूलाई 2010

डिजिटल लाइब्रेरी ने बचाए 200 करोड़ रुपये

सुरेश उपाध्याय || नई दिल्ली

यह भारत के परंपरागत ज्ञान को बचाने की मुहिम है, लेकिन इसने अब तक इस विकासशील मुल्क के 200 करोड़ रुपये भी बचा लिए हैं। साथ ही समय और श्रम की जो बचत हुई है, वह अलग।

भारत की समृद्धि और ज्ञान पर विदेशियों की नजर सदियों से रही है। लेकिन जब नव्वे के दशक में अमेरिका की एक कंपनी ने हल्दी पर अपना दावा जता दिया, तो समस्या की गंभीरता को महसूस किया गया। हल्दी हमारी परंपरा में तो हजारों सालों से बसी हुई है ही, आयुर्वेद में भी इसके योग से दर्जनों औषधियां बनाई जाती हैं। इसे बचाने में भारत को पांच साल लग गए और अमेरिकी वकीलों को फीस के रूप में जो मोटा पैसा देना पड़ा, सो अलग। इसके बाद 1995 में अमेरिका की ही एक फर्म ने हमारे चिरसखा नीम पर अपना दावा ठोक दिया। भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान



(सॉएसआईआर) को इसके अमेरिकी पेटेंट को रद्द कराने में 10 साल लग गए और इस पूरी मशक्कत पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हो गए।

भारत के परंपरागत ज्ञान को पेटेंट कराने की इन कोशिशों से निपटने के लिए 2001 में सॉएसआईआर ने आयुष विभाग की मदद से ट्रिडशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) की स्थापना की।

कानूनावधि कदम

- ट्रिडशनल नॉलेज और पैसे, दोनों बचाए इस डिजिटल लाइब्रेरी ने
- पेटेंट पर विदेशी कंपनियों की 'चाल' से बचने के लिए बना टीकेडीएल
- देश में सदियों से इस्तेमाल हो रही 20 वनस्पतियां विदेशी कबजे से बचीं

यह देश की हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध पद्धति को बचाने की शुरुआत थी।

टीकेडीएल के डायरेक्टर वी. के. गुप्ता बताते हैं कि अपनी स्थापना के बाद से टीकेडीएल की मदद से भारत में सदियों से इस्तेमाल हो रही करीब 20 वनस्पतियों और जड़ियों पर विदेशियों को कब्जा करने से रोक दिया गया। इनमें नीम,

हल्दी, पुदीना, कमल, ब्राह्मी, अश्वगंधा, चाय की पत्ती और अदरक प्रमुख हैं। वी. के. गुप्ता बताते हैं कि टीकेडीएल पर इसकी स्थापना से अब तक करीब 10 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और इसने इसने भारत के कम से कम 200 करोड़ रुपये बचा लिए हैं। यह पैसा विदेशी वकीलों की फीस और संबद्ध देश में आने-जाने का खर्च न होने से बचा है।

गुप्ता के मुताबिक, अब दुनिया के किसी भी पेटेंट दफ्तर में कोई भी आवेदन दाखिल होने पर इसका पता आँनलाइन चल जाता है और अगर इसमें भारत के परंपरागत ज्ञान का प्रयोग हो रहा हो, तो टीकेडीएल तुरंत एक्शन लेती है। संबंधित पेटेंट ऑफिस को टीकेडीएल में मौजूद दस्तावेजों की मदद से बता दिया जाता है कि भारत में फलां वनस्पति या पदार्थ से ऐसे उत्पाद हजारों सालों से बनाए जा रहे हैं। टीकेडीएल में आज आयुर्वेद के 85,500, यूनानी के एक लाख 20 हजार 220 और सिद्ध के 13,470 फॉर्म्युले का विवरण पूरे सबूतों के साथ मौजूद है।